राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2368/2021

मालती शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर।
3. शिल्पा भादविया पुत्री श्री एम.एस. भादविया, निवासी सी–105, कांचीपुरम, भीलवाड़ा (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.07.2021
आदेश की दिनांक : 12.05.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : स्वयं
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता
प्रत्यर्थी सं. 3 की ओर से : श्री शोभित तिवाड़ी, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर पुलिस निरीक्षक की वरिष्ठता सूची दिनांक 18.06.2019, 07.05.2020 एवं 22.04.2021 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और जो अपीलार्थी से कनिष्ठ अधिकारी जिन्हें पुलिस निरीक्षक के पद पर रिक्ति वर्ष 2010–11 के विरूद्ध राजस्थान पुलिस सेवा (आर.पी.एस. जूनियर स्केल) के लिए पदोन्नति हेतु विचार किया गया, अपीलार्थी को उनसे वरिष्ठता सूची में ऊपर रखते हुए पदोन्नति पर विचार किया जाए तथा सभी पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी ने पुलिस निरीक्षक की वरिष्ठता सूची दिनांक 18.06.2019 को चुनौती देते हुए कहा है कि जो कार्मिक वर्ष 1999 से अपीलार्थी से कनिष्ठ थे उन्हें अपीलार्थी से वरिष्ठ माना गया है तथा वरिष्ठता सूची दिनांक 07.05.2020 एवं 22.04.2021 जिसके द्वारा अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को वरिष्ठता प्रदान की गई, जो पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किया गया। अपीलार्थी पुलिस

निरीक्षक के पद पर वर्ष 2016 में उप निरीक्षक से निरीक्षक के पद पर रिक्ति वर्ष 2014–15 के विरूद्ध पदोन्नत किया गया और जो उप निरीक्षक अपीलार्थी से पूरी सेवा में कनिष्ठ थे, उन्हें वरिष्ठता सूची दिनांक 18.06.2019 जिसमें अपीलार्थी को वरिष्ठता उनसे नीचे रखा गया और उनकी पदोन्नति वर्ष रिक्ति वर्ष 2010–11 के विरूद्ध परिवर्तित कर दी गई। इस प्रकार वरिष्ठता सूची दिनांक 18.06.2019 एवं 07.05.2020 और 22.04.2021 पूर्ण रूप से अवैध एवं विधि के विरूद्ध है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा उप निरीक्षक के पद पर आदेश दिनांक 11.11.1999 को हुई थी। अपीलार्थी वरिष्ठता सूची दिनांक 18.06.2019 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 21950/2019 मालती शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 07.07.2021 को आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी को अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया।

अपीलार्थी का कथन है कि निरीक्षक के पद पर नियुक्ति 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा की जाती है और निरीक्षक के पद पर पदोन्नति पाने के लिए 7 वर्ष का उप निरीक्षक के पद का निरंतर अनुभव आवश्यक होता है अथवा उप निरीक्षक के पद पर पांच वर्ष का अनुभव एवं स्नातक योग्यता होने पर निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति 11.11.1999 को उप निरीक्षक के पद पर हुई थी। इस प्रकार अपीलार्थी स्नातक योग्यताधारी होने पर वर्ष 2005 में निरीक्षक के पद पर पदोन्नति योग्य थी। परंतु निरीक्षक पद पर पदोन्नति हेतु योग्यात्मक परीक्षा वर्ष 2007–08 में आयोजित की गई, जिसमें अपीलार्थी ने भी भाग लिया। नियम 1989 के नियम 29 के तहत दो तरह से योग्यात्मक परीक्षा होती है। (1) लिखित, प्रयोगात्मक, परेड एवं अन्य आउटडोर परीक्षा (2) साक्षात्कार एवं सेवाभिलेख परीक्षा, वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर। अपीलार्थी वर्ष 2007–08 में विभागीय पुलिस निरीक्षक पदोन्नति में अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने के बाद भी पदों की संख्या कम होने के आधार पर चयन से वंचित कर दिया गया और उसे वरिष्ठता में नीचे करते हुए पदोन्नति नहीं दी गई। वर्ष 2008–09 में कम रिक्त पद होने के कारण परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुई और बाद में वर्ष 2009–10, 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 में निरीक्षक पद के लिए कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई, जबकि नियमानुसार प्रत्येक वर्ष रिक्तियों का निर्धारण कर पदोन्नति के लिए योग्यात्मक परीक्षा आयोजन किए जाने का प्रावधान है। जुलाई वर्ष 2013 में चार वर्ष की रिक्तियों को एकत्रित कर पदोन्नति के लिए

कार्यवाही की गई, जिसमें अपीलार्थी उपस्थित होने में असमर्थ रही, चूंकि दिनांक 21.07.2013 को अपीलार्थी ने बच्चे को जन्म दिया, जो अनुलग्नक–8 से प्रकट होता है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 16.05.2014 के द्वारा इंटेलीजेंस शाखा के लिए उप निरीक्षक से आवेदन मांगे गए, जिसमें अपीलार्थी ने आवेदन किया और उसके आवेदन को स्वीकार कर उसे इंटेलीजेंस शाखा में आदेश दिनांक 23.09.2014 के द्वारा ले लिया गया। रिक्ति वर्ष 2009–10 से 2012–13 एक साथ रिक्तियों को जोड़ने के मामले को अधिकरण के समक्ष अभ्यर्थियों द्वारा चुनौती दी गई, जिसको अधिकरण द्वारा स्वीकार कर आदेश दिनांक 29.11.2013 पारित किया गया। जिसको प्रत्यर्थी विभाग ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष डी.बी. में अपील प्रस्तुत की, जिसे स्वीकार किया गया और अधिकरण के आदेश को निर्णय दिनांक 30.05.2017 के द्वारा यथावत रखा गया। अपीलार्थी वर्ष 2013 में पदोन्नति हेतु उपस्थित हुई और उत्तीर्ण होने पर उसने एवं उससे कनिष्ठ कार्मिकों ने पदोन्नति कैडर कोर्स दिनांक 24.06.2016 से 24.08.2016 तक पूरा किया। आदेश दिनांक 29.08.2016 के द्वारा अपीलार्थी को निरीक्षक के पद पर रिक्ति वर्ष 2014–15 के विरूद्ध पदोन्नत कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा निरीक्षक के पद की वरिष्ठता सूची दिनांक 24.05.2018 को जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 827 पर अंकित था। वर्ष 2019 में विभाग द्वारा वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम उससे कनिष्ठ कार्मिकों के नीचे अंकित किए गए और इस तरह वर्ष 2020 एवं वर्ष 2021 में भी ऐसा होता रहा। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 23.05.2019 एवं 08.06.2021 को अभ्यावेदन दिया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को मौखिक रूप से निस्तारण करने का आश्वासन देते रहे। अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 30.01.2019 को सूचना मांगी, परंतु विभाग द्वारा आदेश दिनांक 11.02.2019 के द्वारा इनकार कर दिया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे खारिज कर दी गई। अपीलार्थी ने द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग के समक्ष दिनांक 26.03.2019 को प्रस्तुत की, जिसका कोई निराकरण नहीं हुआ। अपीलार्थी ने पुनः सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 05.11.2019 को आवेदन दिया, जिसका आदिनांक तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। अपीलार्थी वर्ष 1999 में उप निरीक्षक के पद पर नियुक्त हुई, जिसका मेरिट क्रमांक 786 है। मिस शिल्पा भदेरिया जो अपीलार्थी के साथ नियुक्त हुई, परंतु अपीलार्थी से मेरिट क्रमांक 847 कम होने के कारण भी वह उप निरीक्षक से निरीक्षक के पद पर वर्ष 2004 में

पदोन्नत हो गई। इस तरह अन्य कार्मिक भी जो अपीलार्थी से कनिष्ठ हैं, उन्हें वरिष्ठता में आगे कर दिया गया। उनका कथन है कि निरीक्षक की वरिष्ठता जो वर्ष 2018 में प्रकाशित की गई और एक वर्ष बाद माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार भी अपीलार्थी सूची में अंकित अभ्यर्थियों से वरिष्ठता में वरिष्ठ थी। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को उन सभी कार्मिकों से वरिष्ठता में नीचे रखा गया, जो पूरी सेवा में वो कार्मिक अपीलार्थी से कनिष्ठ थे। चूंकि अपीलार्थी पदोन्नति के लिए वर्ष 2007–08 में ही योग्यात्मक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी थी। फिर भी अपीलार्थी को निरीक्षक के पद पर पदोन्नति वर्ष 2011–12 दिया गया। वर्ष 2007–08 में योग्यात्मक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी उसे रिक्ति वर्ष 2010–11, 2011–12 नहीं दिया गया, जबकि जो कार्मिक अपीलार्थी से कनिष्ठ थे और उन्होंने योग्यात्मक परीक्षा वर्ष 2013–14 में उत्तीर्ण की है, फिर भी उन्हें निरीक्षक के पद पर पदोन्नति वर्ष 2011–12 दिया गया। वर्ष 2019 की वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी को निरीक्षक पद पर पदोन्नति वर्ष 2014–15 बताया गया। इस प्रकार अपीलार्थी के विरूद्ध प्रत्यर्थी विभाग द्वारा गलत तरीके से उसकी वरिष्ठता को दर्शाया गया।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर पुलिस निरीक्षक की वरिष्ठता सूची दिनांक 18.06.2019, 07.05.2020 एवं 22.04.2021 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और जो अपीलार्थी से कनिष्ठ अधिकारी जिन्हें पुलिस निरीक्षक के पद पर रिक्ति वर्ष 2010–11 के विरूद्ध राजस्थान पुलिस सेवा (आर.पी.एस. जूनियर स्केल) के लिए पदोन्नति हेतु विचार किया गया, अपीलार्थी को उनसे वरिष्ठता सूची में ऊपर रखते हुए पदोन्नति पर विचार किया जाए तथा सभी पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी वर्ष 2007–08 में पुलिस निरीक्षक पदोन्नति में उपस्थित रहकर सफल हुई, परंतु कनिष्ठ होने के कारण उसे चयन सूची में नहीं लिया गया एवं वर्ष 2009–10 से 2012–13 की पदोन्नतियों में अपीलार्थी ने स्वयं भाग नहीं लिया और अन्य कार्मिकों जो कनिष्ठ थे, उन्होंने भाग लिया, जिनको रिव्यू पदोन्नति में नियमानुसार पदोन्नत किया गया है। अपीलार्थी के कनिष्ठ उप निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक पदोन्नति में अपीलार्थी से पूर्व चयन वर्ष 2014–15 से पूर्व के वर्ष 2011–12 में चयन हो जाने के कारण अपीलार्थी स्वतः ही नियमानुसार वरिष्ठ किए गए हैं। अपीलार्थी ने वर्ष 2007–08 की उप निरीक्षक से

पुलिस निरीक्षक पदोन्नति परीक्षा की कुल 103 रिक्त पदों में भाग लिया था एवं कनिष्ठ रहने के कारण चयन सूची पर नहीं लिया गया। वर्ष 2009–10 से वर्ष 2012–13 में आर.पी.एस. पदोन्नति के पदों को रिक्तियों में नहीं जोडा गया था, जिनको अधिकरण व राजस्थान उच्च न्यायालय खंडपीठ द्वारा स्पेशल अपील रिट संख्या 1004/2015 राजेन्द्र खण्डेलवाल बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय दिनांक 30.05.2017 हुआ। राज्य सरकार की नो अपील पर उच्चतर पदों को इन वर्षों में शामिल कर रिव्यू पदोन्नति की गई थी और पदों की वृद्धि होने पर इन वर्षों में प्रतीक्षा सूची पर सफल अभ्यर्थियों को चयन सूची में लिया गया था। वर्ष 2009–10 से 2012–13 का इस पद की पदोन्नति का रिव्यू किए जाने पर कई कार्मिकों को पदोन्नत किया गया, फलस्वरूप उनके नवीन चयन वर्ष के अनुसार ही वरियता सूची में युक्ति–युक्त विधिक आधारों से बदलाव किया गया है। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 01.02.2019 को आवेदन पत्र पुलिस मुख्यालय को प्राप्त हुआ, जिसके प्रत्युत्तर में मात्र 10 दिवस में ही याचिकाकर्ता को नियमानुसार देय सूचना उपलब्ध करवाई जाकर पावती रसीद प्राप्त की गई। वर्ष 2009–10 से 2012–13 की पदोन्नति रिव्यू से पदोन्नत अभ्यर्थियों से हुआ है। श्रीमती शिल्पा भादरिया व अन्य इस बिंदु पर उल्लेखित अभ्यर्थियों का पदोन्नति वर्ष 2011–12 होने व अपीलार्थी का पदोन्नति वर्ष 2014–15 होने के कारण अपीलार्थी अन्य व्यक्तियों से नियमानुसार कनिष्ठ की गई। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी ने लिखित जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 में विभागीय पुलिस निरीक्षक पदोन्नति में अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने के उपरांत भी पदों की संख्या कम होने के आधार पर चयन से वंचित किया गया। अपीलार्थी वर्ष 2007–08 की पुलिस निरीक्षक पद पर पदोन्नति हेतु पहली बार पात्र बने। अपीलार्थी ने कुल 61 प्रतिशत अंक प्राप्त किये थे, जबकि बोर्ड द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त होने वालों को पदोन्नति दी है। ऐसा पदोन्नति आदेश में बोर्ड द्वारा अंकित किया गया है। वर्ष 2007–08 में निरीक्षक पुलिस के रिक्त पदों की संख्या 113 थी लेकिन विभाग द्वारा 103 पदों पर ही परीक्षा कराई गई। इस प्रकार 10 पद रिक्त रहे एवं 38 पद सी.आई. से आर.पी.एस. पदोन्नत होने से रिक्त हुए। कुल रिक्त पदों की संख्या 48 रही लेकिन 48 पद विभाग द्वारा रिक्त रखे जाने के कारण अपीलार्थी इस लाभ से वंचित रही। उनका कथन है कि उक्त पदोन्नति वर्ष में विभाग द्वारा उच्चतर पदोन्नति से प्राप्त रिक्तियों व अन्य प्राप्त शुद्ध

रिक्तियों को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 10(1)(ए) के तहत वास्तविक रिक्तियों में नहीं जोडकर सही पदों का निर्धारण नहीं किया गया, जिससे अपीलार्थी पदोन्नति से वंचित रही। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्पेशल रिट अपील संख्या 1004/2015 के निर्णय दिनांक 31.05.2017 की अनुपालना में उच्चतर पदों पर पदोन्नति से प्राप्त शुद्ध रिक्तियों को पदोन्नति वर्ष में जोड़कर वर्ष 2009–10 से 2015–16 की पुलिस निरीक्षक पदोन्नति का रिव्यू किया गया, जिसमें अपीलार्थी से कनिष्ठ अभ्यर्थी/कार्मिक श्रीमती शिल्पा भादरिया को पुलिस निरीक्षक पद पर नियम विरूद्ध पदोन्नति दी जाकर अपीलार्थी को पदोन्नति से वंचित रखा गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपने जवाब में संलग्न परिशिष्ठ के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि वर्ष 2007–08 में पुलिस निरीक्षक से उप अधीक्षक पुलिस पदोन्नति के पदों को पुलिस निरीक्षक पदोन्नति में उच्चतर पदोन्नति से रिक्त पदों को इस पदोन्नति की रिक्तियों में नहीं जोडा गया, जो न्याय के नैसर्गिंक सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति आदेश दिनांक 11.11.1999 के द्वारा उप निरीक्षक के पद पर हुई थी और रिक्ति वर्ष 2007–08 के विरूद्ध पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए योग्यात्मक परीक्षा में उपस्थित हुई। परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत अपीलार्थी की वरिष्ठता नीचे होने के कारण उसे पदोन्नति से वंचित होना पड़ा। तदुपरान्त अपीलार्थी वर्ष 2009–10 से वर्ष 2012–13 की पदोन्नति परीक्षा में अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुई, जिस कारण अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान नहीं की गई। अपीलार्थी का यह तर्क सही नहीं है कि रिक्तियों का निर्धारण वर्षवार नहीं किया गया है। अपीलार्थी को वर्ष 2014–15 में पदोन्नति प्रदान की गई, जो नियमानुसार सही एवं उचित है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील में कोई बल प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा उप निरीक्षक के पद पर आदेश दिनांक 11.11.1999 को हुई थी। पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नति पाने के लिए

7 वर्ष का पुलिस उप निरीक्षक के पद का निरंतर अनुभव अथवा उप निरीक्षक के पद पर पांच वर्ष का अनुभव एवं स्नातक योग्यता होना आवश्यक है। अपीलार्थी स्नातक योग्यताधारी होने पर वर्ष 2005 में निरीक्षक के पद पर पदोन्नति योग्य थी। परंतु निरीक्षक पद पर पदोन्नति हेतु योग्यात्मक परीक्षा वर्ष 2007–08 में आयोजित की गई, जिसमें अपीलार्थी ने भी भाग लिया। अपीलार्थी वर्ष 2007–08 में विभागीय पुलिस निरीक्षक पदोन्नति में अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने के बाद भी पदों की संख्या कम होने के आधार पर चयन से वंचित कर दिया गया और वरिष्ठता में नीचे होने के कारण उसे पदोन्नति नहीं दी गई। वर्ष 2008–09 की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुई और बाद में वर्ष 2009–10, 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 में निरीक्षक पद के लिए कोई योग्यात्मक परीक्षा आयोजित नहीं की गई। अपीलार्थी वर्ष 2013 में पदोन्नति हेतु उपस्थित हुई। आदेश दिनांक 29.08.2016 के द्वारा अपीलार्थी को निरीक्षक के पद पर रिक्ति वर्ष 2014–15 के विरूद्ध पदोन्नत कर दिया गया। जहां तक अपीलार्थी वर्ष 2007–08 की योग्यात्मक परीक्षा में सफल उत्तीर्ण होने पर उसे उक्त वर्ष में पद कम होने के कारण पदोन्नति प्रदान नहीं किए जाने एवं आगामी वर्षों की रिक्तियों के विरूद्ध उसकी पदोन्नति विचार नहीं किए जाने का प्रश्न है, हमारे मत में राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियमों के तहत प्रत्येक वर्ष के एक अप्रेल को रिक्तियों का सही निर्धारण एवं प्रत्येक वर्ष डी.पी.सी. आयोजित किए जाने का प्रावधान है और इस प्रकार उक्त नियमानुसार प्रत्येक वर्ष रिक्तियों का सही निर्धारण कर और रिक्ति वर्ष के विरूद्ध योग्यात्मक परीक्षा आयोजित किया जाना बताया गया है। इस प्रकार पिछली रिक्ति वर्ष के विरूद्ध आयोजित योग्यात्मक परीक्षा का परिणाम आगामी रिक्ति वर्ष में उस योग्यात्मक परीक्षा के परिणाम पर विचार नहीं किया जा सकता। अतः अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल प्रकट नहीं होता है। जहां तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पुलिस निरीक्षक के 113 पदो पर पदोन्नति हेतु वर्ष 2007–08 में योग्यात्मक परीक्षा आयोजित होने उपरान्त 1 से 3 पदो पर परीक्षा कराये जाने एवं 10 पद रखे जाने का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अनुलग्नक–आर–1 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रिक्त पद 113 एवं फरवरी 2008 तक सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए 20 पद कुल 133 पद ओर वर्ष 2006–07 में चयनित हुए 67 पद भर जाने के कारण कुल 2007–08 में 66 पद शेष रहे। जिसमें भी विशेष नियुक्ति दौरान 6 पद भरे गये जिसके कारण मात्र 60 पदो पर पदोन्नति प्रदान की गई थी। इस प्रकार अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है कि 113 पदों में से मात्र 103 पदो पर

पदोन्नति प्रदान की गई हो और विभाग द्वारा 10 पद शेष रखे गये। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतदद्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य